प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 30 मार्च, 2017**

विषय:- **मै0 सोमिल राईस मिल, ग्राम-देवनन्दपुर, अमावों रोड, रायबरेली को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु स्वीकृत अनुदान की तृतीय किस्त रू0-210232.00 (रूपया दो लाख दस हजार दो सौ बत्तीस मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0उ0नि0-1417/25/तृतीय किश्त/2016-17, दिनांक-21.03.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1/997/58-2-2013-10/12टी0सी0-1, दिनांक- 06.12.2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की तृतीय बैठक दिनांक: 21.10.2014 द्वारा **मै0 सोमिल राईस मिल, ग्राम-देवनन्दपुर, अमावों रोड, रायबरेली** को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु बैंक् द्वारा प्राप्त किये गये वास्तविक ब्याज के सापेक्ष नीति में प्राविधानित 07 प्रतिशत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 आयोजनागत पक्ष में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-23/2015/604/58-2-2015-300(8)/2015, दिनांक-10/07/2015 द्वारा रू0-1.00 करोड़ (रूपया एक करोड़ मात्र), वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-36/2016/369/58-2-2016-300(8)/ 2015, दिनांक-30/03/2016 द्वारा रू0-9608 हजार (रूपया छियानबे लाख आठ हजार मात्र), चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 मे शासनादेश संख्या-43/2016/442/58-2-2016-300(8)/2016, दिनांक-27.04.2016 के सारणी के कालम-4 द्वारा रू0-20305 हजार (रूपया दो करोड़ तीन लाख पाँच हजार) एवं संख्या-2/2017/99/58-2-2017-300(16)/2016, दिनांक- 10.02.2017 द्वारा रू0-29328 हजार (रूपया दो करोड़ तिरानबे लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. उपलब्ध धनराशि में से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रस्तावानुसार संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में ब्याज के रूप में भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि रू0-339380.00 का 7 प्रतिशत की दर से अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आकलित अनुमन्य ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति धनराशि रू0-210232.00 (रूपया दो लाख दस हजार दो सौ बत्तीस मात्र) को तृतीय किस्त के रूप में प्रतिपूर्ति हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं अनुबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-65/58-2-2013-10/2012, दिनांक-21-01-2013 के संलग्नक (योजना हेतु गाईड लाईन) में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कडाई से अनुपालन कराया जाय।

.....2/-

http://shasnadesh.up.nic.in

(3) अनुदान हेतु स्वीकृत तृतीय किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं ख़ाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2017 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(8) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(9) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(10) उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(11) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-11ए, दिनांक- 29, मई, 2012 का पूर्णत अनुपालन :किया जायेगा।

(12) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26.08.2014, शासनादेश सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015,दिनांक-30.03.2015 एवं सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-7/2017/213(1)/58-2-2017, तद्दिनांक:</u>

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) आयुक्त/जिलाधिकारी, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ़द्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in